भारतीय उपचर्या परिषद्
आठवाँ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज - 1, नई दिल्ली - 110020

INDIAN NURSING COUNCIL
8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase - I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

F.No.1-6 /LT/ 2026 – INC (96616) **Dated: 10.06.2026**

NOTIFICATION NO. 11 OF 2026

Subject: Strict adherence to guidelines laid down by Indian Nursing Council regarding Nursing Universities admitting candidates more than INC sanction seats

In exercise of the powers conferred under Section 10 of INC Act, 1947 as amended from time to time the following declaration made by a resolution passed at a meeting of the Executive Committee of Indian Nursing Council held on 8th November, 2025:

In addition to point no. 17 regarding number of sanctioned seats of Indian Nursing Council Gazette Notification no. 97 dated 12.03.2021 on "Minimum Pre-Requisites for Granting Suitability to Nursing Programs"

It is hereby notified that the private/deemed universities whose nursing qualification have been recognised under section 10 of INC Act, and their constituent colleges which have been found suitable with certain annual intake, shall not ADMIT more than the seats found suitable under section 13 and 14 of INC, Act, 1947.

Further, if it is found that the said Universities are admitting more than the seats found suitable, INC shall be constrained to take action of withdrawal of the recognition of the qualification and suitability as provided under section 14 of INC Act, 1947.

This issues with the approval of the competent authority.

Col (Dr) Sarvjeet Kaur
Secretary

Circulation:

1. Principal Secretary, DME / DHS, All State Govt.
2. Registrar, All Universities offering and examining Nursing Programmes.
3. Registrar, State Nursing Councils
4. Registrar, State Examination Boards
5. INC Website

भारतीय उपचर्या परिषद्
आठवाँ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट न. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली – 110020

INDIAN NURSING COUNCIL
8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase-I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

F.No.1-6 /LT/ 2026-INC (96616) **दिनांक: 10.06.2026**

अधिसूचना संख्या 11/2026

विषय: भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा स्वीकृत सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश देने वाले नर्सिंग विश्वविद्यालयों के लिए भारतीय उपचर्या परिषद के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन

समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय उपचर्या परिषद की कार्यकारी समिति द्वारा दिनांक 8.11.2025 को हुई अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव के ज़रिए यह घोषणा की जाती है:

"नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए उपयुक्तता स्वीकृत करने की न्यूनतम आवश्यक शर्तों" पर भारतीय उपचर्या परिषद की राजपत्र अधिसूचना संख्या 97 दिनांक 12.03.2021 के बिन्दु संख्या 17 (स्वीकृत सीटों की संख्या) के अलावा:

इसके ज़रिए सूचित किया जाता है कि जिन निजी/डीम्ड विश्वविद्यालयों के नर्सिंग कार्यक्रमों को भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत मान्यता मिली है, और जिनके घटक कॉलेजों को एक निश्चित वार्षिक प्रवेश क्षमता के साथ उपयुक्त पाया गया है, वे भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 13 और 14 के तहत उपयुक्त पाई गई सीटों से अधिक प्रवेश नहीं देंगे।

इसके अलावा, अगर यह पाया जाता है कि उक्त विश्वविद्यालय उपयुक्त पाई गई सीटों से अधिक प्रवेश दे रही हैं, तो भारतीय उपचर्या परिषद को भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत योग्यता और उपयुक्तता की मान्यता वापस लेने की कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

यह सक्षम अधिकारी की मंज़ूरी से जारी किया गया है।

सर्वजीत कौर

कर्नल (डॉ) सर्वजीत कौर
सचिव

प्रतिलिपि संचारित:

1. प्रिंसिपल सेक्रेटरी, DME / DHS, सभी राज्य सरकारें
2. रजिस्ट्रार, नर्सिंग प्रोग्राम्स चलाने और परीक्षा लेने वाली सभी यूनिवर्सिटीज़
3. रजिस्ट्रार, राज्य नर्सिंग काउंसिल
4. रजिस्ट्रार, राज्य परीक्षा बोर्ड
5. INC वेबसाइट